उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
संख्याःसा–3–295 / दस–2009–101(24) / 2008
लखनऊ : दिनॉक : 25 मार्च, 2009

कार्यालय – ज्ञाप
शुद्धि–पत्र

छठें वेतन आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार्य करते हुए अखिल भारतीय सेवा के पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स को देय पेंशन / पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण एवं अवशेष देयों के भुगतान के संबंध में वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के कार्यालय – ज्ञाप संख्या – सा–3–1250 / दस–2008, दिनॉक 20–10–2008 एवं कार्यालय – ज्ञाप संख्या– सा–3–जी0आई0–25 / दस–2008, दिनॉक 03–11–2008 एवं कार्यालय – ज्ञाप/ शुद्धि पत्र संख्या – सा–3–141 / दस–2008–101(24) / 2008, दिनॉक 12–02–2009 के कम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय सेवा के दिनॉक 01–01–2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त हुए किसी पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर द्वारा देय अवशेष का भुगतान प्राप्त किए जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में ऐसे पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर के जीवनकालीन अवशेष की धनराशि ऐसे पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी को अविलम्ब एक मुश्त नगद कर दिया जाए।

2– उक्त संदर्भित कार्यालय – ज्ञापे इस सीमा तक संशोधित समझे जायें।

बी0 एन0 दीक्षित
सचिव, वित्त।

संख्याःसा–3–295(1) / दस–2009, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– विशेष सचिव, इरला चेक अनुभाग, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3– निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
4– निदेशक, पेंशन, उ0प्र0 लखनऊ।
5– उ0प्र0 के समस्त जनपदों के मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी।
6– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

आज्ञा से,

(हेमन्त कुमार सक्सेना)
विशेष सचिव।